

Pakistani Nationals Overstaying in India

+

*1232. **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri N. S. Sharma:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Sharda Nand:
Shri Atam Das:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether a large number of Pakistani nationals are overstaying in India at present: and

(b) if so, the steps taken to send them back to Pakistan

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The number of Pakistani nationals overstaying in India as on the 31st May, 1967, was 12,603. Out of these, 5,261 have applied for extension, and 832 have claimed Indian citizenship. Necessary action under the Foreigners Act is being taken against the remaining 6,510. persons.

श्री बृज भूषण लाल : क्या मंत्री महोदय, को यह बात मालूम है कि उत्तर-प्रदेश में बरेली में खास तौर पर 8-10 साल से बहुत से पाकिस्तानी नेशनल्स पुलिस की लापरवाही की वजह से ओवरस्टे कर रहे हैं और उन की एक्टिवटीज ऐंटी नेशनल है, यदि हां. तो वह कितने हैं और कब से हैं और उन को शीघ्र डिपोर्ट करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में कितने लोग हैं इस की सूचना मेरे पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1650 ऐसे लोग हैं जो वहां ओवरस्टे कर रहे हैं। उन में 123 ऐसे व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान की माइनागिटी कम्युनिटीज को बिलौंग करते हैं और उन के ऊपर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। किन्हीं लोगों ने हिन्दुस्तान में रहने के गिमे वीसा के एक्सटेंशन के लिए

दरखास्त दी है, कुछ लोगों ने अदालतों में केस किये हैं और वे चाहते हैं कि उन की जो नागरिकता है वह भारत की घोषित की जाय पर जहां तक राज्य सरकार का सवाल है वह इस प्रश्न के ऊपर उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री बृज भूषण लाल : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि इस फौरनर्स ऐक्ट में कुछ ऐसे फलाज है, वुटियां है जिनका कि फायदा यह पाकिस्तानी नेशनल्स उठा रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उन सब खामियों को दूर करने के लिए फौरनर्स ऐक्ट में कोई संशोधन करने सम्बन्धी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक अभी वर्तमान का सवाल है ऐसा कोई फला हमारी निगाह में नहीं आया है जिसके कि अन्तर्गत इस तरह के सिटीजंस फौरनर्स ऐक्ट की खामियों का फायदा उठा सकें अलवत्ता इस तरीके की यदि कोई चीज हमारे ध्यान में आयेगी तो जरूर उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मनुभाई पटेल : पाक नेशनल्स जो ओवरस्टे कर रहे हैं क्या उन में ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं जोकि स्पाई का भी काम करते हैं यदि हां तो उन के ऊपर उचित देखभाल करने का सरकार ने क्या इंजाम किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन के ऊपर देखभाल करने का पूरा इंतजाम है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह जो पाकिस्तानी नागरिकों का जिक्र करने में आ जाता है उस में यह जो पठान हैं उन का भी हमेशा समावेश करने में आ जाता है तो हमारा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से पठान देश के बटवारे के

पहले से रहते आ रहे हैं, इस मुल्क के अलग अलग इलाकों में वह पठान रहते हैं तो क्या उन को भी सरकार पाकिस्तानी नेशनल्स मानती है और क्या सरकार उन के बारे में ऐसी कोई नीति अपनाने को तैयार है कि अगर वे लोग हिन्दुस्तान में रहना चाहें तो उन को हिन्दुस्तान का नागरिक मान लिया जाय ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य का पठानों से आशय अफगानिस्तान के नागरिकों का है तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान के नागरिक के रूप में नहीं माना जाता है। वे अफगानिस्तान के नागरिक के रूप में माने जाते हैं। यदि वे कानून के अनुसार भारतीय नागरिक बनने की दरखास्त देते हैं तो कानून के अनुसार उन के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है।

श्री भगु लिलये : बम्बई में उन को बड़ी संख्या में नौकरी से निकाल दिया गया है।

श्री मु० अ० खां० : पठानों से मतलब साफ होता है पख्तुनिस्तान वाले, बादशाह खां वाले और यह पठान तो हिन्दुस्तान में बंटवारे से बहुत पहले से रह रहे हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डज : मैं पख्तुनिस्तान के जो रहने वाले हैं बादशाह खां वाले उन पठानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ और यह पठान तो यहां बंटवारे से पहले से इस देश में रहते आ रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने इस के बारे में पहले कहा हुआ है कि यदि पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नागरिक यहां रहते हैं और वे भारतीय नागरिकता के लिए दरखास्त देते हैं तो कानून के अनुसार उन की दरखास्तों पर विचार किया जाता है। हम लोग किसी ऐसे

व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना चाहते जो भारतीय नागरिकता पाने का अधिकारी हों।

Shri A. V. Patil: May I know the number of Pakistani nationals over-staying, Statewise?

Mr. Speaker: In every State? No. no.

Shri Hem Barua: May I know if Government are aware of the fact that some of the Pakistani nationals over-staying in India are actively involved in espionage activities as was disclosed by the arrest of a Pakistani in Cachar recently and if so, what steps are taken to stop this?

Shri Vidya Charan Shukla: Those Pakistani citizens about whom we have doubts are kept under watch and we see that they do not indulge in any such anti-national activity.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Has it come to the notice of the Government that near the Hindon Airport in the Ghaziabad, thousands of binoculars are found and the officials of the Pakistani Embassy visit that area often ostensibly for shikar purposes such as deer or duck shooting? Has this fact come to the notice of the Government? Has the Government verified why large number of binoculars have been found in that area with the villagers who have nothing to do with binoculars? Hindon airport is an important airport. A number of butcher's shops also have been opened there so that vultures may be there. These vultures, as you know. Sir, are a great danger to the landing and taking off of aircraft. Will the Government enquire into this? Has anything come to the notice of the Government?

Shri Vidya Charan Shukla: This really does not arise out of this question but we shall definitely look into it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राजस्थान से लगता हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है

क्या उसमें भी कुछ इस प्रकार के पाकिस्तानी बुलवैडिये भारत में बड़ी सख्या में पाये गये हैं अराष्ट्रीय गतिविधियां करते हुए और क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में कुछ इस प्रकार के पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जिनके विपरीत दिल्ली हाईकोर्ट भी निर्णय दे चुका है कि इनका भारत में रहना हितकर नहीं है लेकिन क्योंकि दिल्ली के कुछ राजनीतिक नेता उन की कमर पर हैं इसलिए अभी तक वे दिल्ली से हटाये नहीं जा सके हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल राजस्थान की सीमा पर भी 'अभ्युद्यम महोदय, कुछ ऐसे पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन के ऊपर जैसा मैंने पहले कहा हम लोग ध्यान रखते हैं और यदि किसी नागरिक के ऊपर शक होता है कि वे भारत के विरुद्ध कोई ऐसी वैसी कार्यवाही कर रहे हैं तो उन पर कानूनन कार्यवाही भी जानी है ।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है एक नागरिक के बारे में इस तरीके का प्रश्न श्री भटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था पर यह बात सत्य नहीं है कि हाईकोर्ट ने ऐसी कोई इस पर राय दी है कि उस का यहां रहना भारत के हित में नहीं है ।

श्री कहर लाल गुप्त हाईकोर्ट ने उसे पाकिस्तानी नागरिक डिक्लेयर किया हुआ नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल हाईकोर्ट ने केवल यह राय दी थी कि वह पाकिस्तानी नागरिक है । हम लोग उस को पाकिस्तानी नागरिक ही मानते हैं और उस के ऊपर जो भी कार्यवाही की जाती है या जिस तरीके से उस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए वह ध्यान भ्रमण देखते हैं उस के ऊपर पाकिस्तानी नागरिक की हैसियत से रक्खी जाती

थी प्रकाशश्रीर शास्त्री स्वामी यह था कि उसके भारत में रहने की अवधि समाप्त होने के बाद और पाकिस्तानी हाईकोर्ट द्वारा डिक्लेयर होने के बाद भी क्या वह अभी तक दिल्ली में है क्योंकि कुछ बड़े कायस के नेता उस की कमर पर हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल हम ने बहुत से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने की इजाजत दी है । उनका वीसा एक, एक साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है और उसी तरीके से इस व्यक्ति का भी वीसा हम ने साल ब साल एक्सटेंड करने का कार्य किया है ।

श्री एस० एस० जोशी मंत्री महादय ने श्री जार्ज फरनेन्डीज के सवाल का जो जवाब दिया है उस से मामला साफ नहीं होता है । श्री जार्ज फरनेन्डीज ने अभी जो गवाह पूछा था वह अफगानिस्तान के पठानों के बारे में नहीं था लेकिन जो बादशाहखा का इलाका है जिसको कि पञ्चूनिस्तान कहा जाता है, वहां से जो पठान भारत में रह रहे हैं और कुछ पहले से रह रहे हैं क्या उन पठानों को इस देश में रहने के लिए हम लोग इजाजत देगे । जब पञ्चूनिस्तान बनेगा तब वह दूसरा देश बनेगा लेकिन आज तो वह पाकिस्तान का हिस्सा है और इसलिए वह पाकिस्तानी कहालायेगा और वह पूछना चाहते हैं कि वह जो बादशाहखा के अनुयायी पठान लोग हैं उन लोगों को यहां इस देश में रहने देकर अपना जीवन बसर करने का मौका देने की नीति सरकार की है या नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल मैं इस के बारे में पहले ही कह चुका हू कि जो भी इस तरीके के पञ्चून यहाँ भारत में हैं और इस देश में रहना चाहते हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दरखास्त देते हैं उन की दरखास्तों पर कानूनन विचार किया जाता है । हम लोग इस के बारे में हमेशा

हैं और समझते हैं कि जो भी ऐसा नागरिक भारत में रह कर भारत को फायदा पहुंचा सके या भारत के काम में अच्छी तरह सहयोग दे सके उस को निकासने का कोई कारण नहीं है।

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: I can call only one by one. I have called two Members from the Opposition—Shri Prakash Vir Shastri and Shri S. M. Joshi. I am now calling a Congress Member.

श्री राज बिशन क्या मिनिस्टर साहब इस बात की जानकारी दें कि होम मिनिस्ट्री में क्या कई स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरह के इस्टीमेशन जारी किये हैं कि कोई भी पाक नेशनल किनो देर तक यहां रह सकता है और कितनी देर के बाद उस को जाना होगा? दूसरी बात यह कि हिन्दुस्तान पाक का कन्सिडर के वक्त जितने पाक नेशनल्स यहां पर थे उन में किसी के खिलाफ स्पाइंग करने की कोई रिपोर्ट आई थी। अगर आई थी तो उस में क्या कारवाई की गई?

श्री विद्याचरण शुक्ल जहां तक पाकिस्तानी नागरिकों का सम्बन्ध है, वह कानून के अनुसार जो फॉरेंस एक्ट है या पासपोर्ट और वीजा के जो रेगुलेशन हैं उन के अनुसार ही भारत में रह सकता है। जहां तक पाकिस्तानी स्पाइंग का सवाल है कुछ मामले हमारे ध्यान में जरूर आये हैं।

Mr. Speaker: We have spent 15 minutes on this question. Do you want me to continue with this still? There are 20 more Members, wanting to put questions. If it is only one or two I do not mind. Of course, this question deals with the Pakistani people staying here, but I think during the question time you will not be able to get much of the information.

श्री राज बिशन अवरकाल : क्या माननीय क्या मन्त्रालय यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि बुसपैठ करने की जो पाकिस्तानी नागरिकों की गतिविधियां बहुत वर्षों से हो रही हैं उन के निराकरण के लिये बुनियादी इंस फर्मी तक निकला है या नहीं, और क्या इस पर भी ध्यान देगे कि जो सीमा पट्टी है उस के पांच मील अन्दर की ओर और पांच मील पाकिस्तान की ओर कोई ऐसी चेक कर दी जाय जिस से वहां पर रुकावट हो जाये और इस तरह की गतिविधियां जो होती हैं वह सवा के लिये बन्द हो जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे विचार में नहीं है।

University in N.E. Region

*1233. Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Bamerjee
Dr. Ram Manohar Lohia
Shri George Fernandes:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2150 on the 23rd November, 1966 and state

(a) whether a decision in the matter of the setting up of a new University in the North Eastern region has since been taken, and

(b) whether this University will specialise in the welfare problems of the hill people and the social integration of the people of the hills and the plains?

The Minister of Education (Dr. Tripathi Sen): (a) The proposal is still under the consideration of the Government

(b) The proposed University is intended to serve the educational and cultural needs of the hill people. It is also expected to promote among the people of the region a sense of integration with the rest of the country

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि पहाड़ी इलाकों